अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

वाद सं0–6 / 2022

मनोज पण्डित —बनाम्— प्रमोद कुमार राय वगैरह

आदेश

04.03.22 थाना प्रभारी, देवरी के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से वर्ष 1935 के हुकुमनामा द्वारा प्राप्त वादग्रस्त भूमि पर लगान के भुगतान सहित दखलकार रहने का उल्लेख कर इसे द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी कागजात के जबरन हड़पने को प्रयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत कर कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत परिवर्त्तित करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से हुकुमनामा द्वारा प्राप्त वादग्रस्त भूमि पर लगान के भुगतान सहित दखलकार रहने तथा पूर्व में स्वत्व वाद सं0–76 / 1977 का विचारण होने, निबंधित दस्तावेज सं0–3394 / 2000 के आधार पर आवासीय मकान निर्मित रहने तथा वर्त्तमान में बँटवारा वाद सं0–72 / 2011 विचाराधीन रहने का तथ्य प्रस्तुत कर कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से अलग–अलग कागजात एवं मकान इत्यादि सहित अपने–अपने दखल का दावा कर रहे पक्षकारों के विवाद के निदान को वस्तुतः सक्षम न्यायालय के अधिकारिता में रहना पाकर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह0/- 4/3/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित

ह0/- 4/3/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:24:28 +05:30
Location: 192.168.1.3